Form No. III
फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय माध्यस्थम् अधिकारी (जिला कलक्टर)** मुकाम **चित्तौड़गढ**

यशोदा बाई बनाम **भारत सरकार जरिये उप मुख्य अभियंता (निर्माण–IV) उत्तर पश्चिम रेलवे**

कार्यवाही अन्तर्गत :– **धारा 20 (च) (6) रेलवे अधिनियम, 1989**

किस्म मुकदमा **राजस्व अपील (Railway)** नं0 **103** सन् **2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.11.2024	पत्रावली सिगहे से पेश हुई। राजपत्र अधिसूचना संख्या 4264 रेल मंत्रालय {उत्तर पश्चिम रेलवे(निर्माण संगठन)} का.आ. 4638 (अ) दिनांक 22 अक्टूबर, 2024 से चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ जिलों के संबंध में राजस्थान राज्य में बडीसादडी–नीमच नई बडी लाईन रेल परियोजना की विशेष परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए **श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर** को उक्त अधिनियम के अधीन मध्यस्थ के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है, अतः न्यायालय हाजा स्तर से प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर मूल पत्रावली मय सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी से प्राप्त मूल अवार्ड पत्रावली के अग्रिम विचारण हेतु **श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर** को प्रेषित की जाती है। तद्नुसार पत्रावली न्यायालय हाजा से निर्णित शुमार की जाकर अभिलेखों में अंकन किया जावें। पत्रावली **श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर** के समक्ष पेश हो। -S/D- (आलोक रंजन) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 07.11.2024 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	